

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2025—अश्विन 11, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जुलाई 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/349/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2023 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में फेस-दो प्रशिक्षण संपन्न करने तथा दिनांक 25-07-2025 को कार्यमुक्त होने के परिप्रेक्ष्य में कॉलम-2 में दर्शित अधिकारियों की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित पद पर करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	सुश्री अनुपमा आनंद, भा.प्र.से. (2023)	सहायक कलेक्टर, रायपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरायपाली, जिला महासमुंद

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री एम भार्गव, भा.प्र.से. (2023)	सहायक कलेक्टर, दुर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव
3.	श्री तन्मय खन्ना, भा.प्र.से. (2023)	सहायक कलेक्टर, बिलासपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा, जिला कोरबा
4.	श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी, भा.प्र.से. (2023)	सहायक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा, जिला रायगढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan Nava Raipur, Atal Nagar

Nava Raipur, the 29th August 2025

F. No. 3266/2476/XXI-B/C.G./2025.—The State Government on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh vide its Memo No. 1057/I-8-6/2001 (Pt. V), II-2-101/2001 (Pt.II)/Confdl./2025, Bilaspur Dated 22-08-2025 hereby, appoints the following Judicial Officers specified in column (2) of the Schedule below as Secretary, District Legal Services Authority on deputation, as mentioned in column (3) of Schedule, from the date they assume charge of their office, namely :—

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of DLSA (3)
1.	Smt. Anita Koshima Rawte, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Bemetara	Secretary, District Legal Services Authority, Bemetara
2.	Shri Avinash Kumar Dubey, Additional Judge to the Court of Civil Judge Senior Division, Dantewada at Bachel	Secretary, District Legal Services Authority, Raipur
3.	Ku. Payal Topno, II Civil Judge Senior Division, Surajpur	Secretary, District Legal Services Authority, Surajpur
4.	Shri Shailesh Kumar Vashishtha, Civil Judge Junior Division, Dongargarh	Secretary, District Legal Services Authority, Balrampur at Ram-nujanj.

Nava Raipur, the 29th August 2025

F. No. 3268/2477/XXI-B/C.G./2025.—The State Government on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh vide their Memo No. 1057/I-8-6/2001 (Pt. V), II-2-101/2001 (Pt.II)/Confdl./2025, Bilaspur Dated 22nd August 2025, hereby, withdraws the services of Shri Rahul Kumar, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Balod at Dallirajhara from High Court of Chhattisgarh, places him under Law and Legislative Affairs Department on deputation and appoints him as Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, Atal Nagar, Nava Raipur from the date he assumes charge of the office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Principal Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 9 सितम्बर 2025

क्रमांक 423 क/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	अड़भार	करापाली प.ह.नं. 12	12 वर्गमीटर	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)	सक्ती-टुण्ड्री मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मालखरौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 3 सितम्बर 2025

प्र. क्रमांक 01/अ-82/2023-24/3025.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-पेण्ड्रा रोड
(ग) नगर/ग्राम-बस्ती
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
470/1, 471/1	0.036
(31/2 में शामिल)	
470/2, 471/2	0.036
(31/3 में शामिल)	
योग	02 0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बस्ती व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 3 सितम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2022-23/3027.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-सकोला
(ग) नगर/ग्राम-बारीउमराव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.382 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367/1ग	0.004
367/1क	0.010
363/1	0.008
367/1ख	0.008
379/1ख	0.002
379/1क	0.002
379/1घ	0.004
380/1ख	0.004
383/4	0.089
383/1	0.093
384/3	0.004
392	0.004
394	0.008
333	0.012
334/2	0.036
334/1	0.036
339	0.004
336/1	0.004
336/2	0.004
362/1	0.002
362/2	0.002
363/4	0.008

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण कार्य बसंतपुर-भाड़ी मार्ग हेतु.
363/3	0.016	
363/3	0.004	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.
363/2	0.002	
364	0.012	
योग	26	0.382
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2025

प्रारूप-II

[नियम 5 (1) देखें]

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1589/202404260300030/अ-82/2023-24. — जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम-कन्दरई, तहसील-सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) में कुल 0.397 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. आवेदक कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग अम्बिकापुर द्वारा राजापुर-कन्दरई मार्ग पर घुनघुटा नदी पर सेतु निर्माण व पहुंच मार्ग हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम-4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) :—

सेतु निर्माण के लिए भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार/कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, पुनर्वासन या पुनर्व्यवस्थापन निरंक है.

अनुविभागीय अधिकारी रा. सूरजपुर को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है. अतः जिला सूरजपुर तहसील सूरजपुर के ग्राम कन्दरई में राजापुर-कन्दरई मार्ग पर घुनघुटा नदी पर सेतु निर्माण व पहुंच मार्ग हेतु 0.397 हे. माप के भू-खण्ड जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है :—

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1405/1	भूस्वामी	असिंचित	0.104	जानकी, गोविन्द, रघुनाथ वल्द बालम केन्दीबाई ठेरीबाई बिन्दोबाई पुत्री बालम जाति गोंड सादेह भूस्वा.
2.	1405/2	भूस्वामी	असिंचित	0.084	सुमित्रा सिंह, ननकी बाई वल्द जगताराम, ननबी बाई, लहरसिंह, मदराशी सिंह वल्द रामनाथ सिंह जाति गोंड सादेह भूस्वा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	1406	भूस्वामी	असिंचित	0.016	गोवर्धन वल्द लालमीर, बिकुलसिंह खुलेश्वरसिंह जोधनसिंह वल्द सोमारसाय, भरथरी वल्द गुरूसाय, विक्रमसिंह अमरदेव सिंह सत्यदेव सिंह अनुराधा सिंह वल्द बलदेव, मु. मोहनीदेवी सिंह पति बलदेव, मयंकसिंह रुचिकासिंह वल्द नितेश कुमार सिंह, विमला सिंह पति नितेश कुमार सिंह, मु. कयासो पति गोपाल सिंह, प्रियंका सिंह चित्रांशी सिंह वल्द जसवंतसिंह, मु. राजकुमारी पति जसवंतसिंह जाति-गोंड सादेह भूस्वा.
4.	1403	शासकीय	पड़ती	0.155	छ.ग. शासन
5.	1061	शासकीय	पड़ती	0.038	छ.ग. शासन
कुल रकबा				0.397	

वृक्ष
निरंक

संरचनाएं
निरंक

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी रा. सूरजपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अनुविभागीय अधिकारी रा. सूरजपुर, तहसीलदार सूरजपुर और उनके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाईल किए जा सकेंगे।

एस. जयवर्धन,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (नजूल शाखा) जिला-कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 17 सितम्बर 2025

रा.प्र.क्र./ई.को.नं./202412080100045/ब-121/वर्ष 2024-25.—राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4-1 की कंडिका 1 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक/ई. कोर्ड नं./202412080100045/ब-121/वर्ष 2024-25 तथा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की परिपत्र क्रमांक एफ-4-43/सात-1/2013/नवा रायपुर दिनांक 12-01-2017 के निर्देश बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार नगरीय क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित ग्राम की शासकीय भूमि को नजूल भूमि घोषित किये जाने हेतु अधिकार जिले के कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं गोपाल वर्मा, कलेक्टर कबीरधाम एतद्वारा जिला कबीरधाम के नगर पंचायत बोड़ला के अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम/पटवारी हल्का सर्वेक्षण संख्याक सूची में दर्शित है, को नजूल/नजूल सरकार भूमि घोषित किया जाना प्रस्तावित है. इस संबंध में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से 15 दिवस के अवसान के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा. आपत्ति क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी रा./तहसील/नगर पंचायत/जनपद पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है.

सूची

क्र.	नगर पालिका का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	वर्तमान पटवारी हल्का क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल हे.में	वर्तमान अभिलेख के अनुसार भूमि का मद	प्रस्तावित मद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	27	0.599	आबादी	नजूल	—
2	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	114/2	0.303	आबादी	नजूल	—
3	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	142/2	1.011	आबादी	नजूल	—
4	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	250	0.085	आबादी	नजूल	—
5	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	309/1	0.376	आबादी	नजूल	—
6	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	303/12	0.081	आबादी	नजूल	—
7	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	309/2	0.057	आबादी	नजूल	—
8	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	303/2	0.057	आबादी	नजूल	पुलिस थाना
9	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	319/1/क	4.945	आबादी	नजूल	—
10	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	319/1/घ	0.101	आबादी	नजूल	—
11	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	319/1/ड	0.101	आबादी	नजूल	—

12	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	322	0.032	आबादी	—	नजूल
13	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	331	0.032	आबादी	—	नजूल
14	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	332	0.057	आबादी	—	नजूल
15	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	333/2	0.024	आबादी	—	नजूल
16	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	333/3	0.101	आबादी	—	नजूल
17	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	334	0.057	आबादी	—	नजूल
18	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	335	0.028	आबादी	—	नजूल
19	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	336	0.413	आबादी	—	नजूल
20	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	337	0.077	आबादी	—	नजूल
21	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	340/2	0.049	आबादी	—	नजूल
22	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	556	0.717	आबादी	विश्रामगृह	नजूल
23	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	601/2	0.506	आबादी	—	नजूल
24	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	629	0.040	आबादी	—	नजूल
25	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	746/2	0.049	आबादी	—	नजूल
26	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	754/1/घ	0.405	आबादी	—	नजूल
27	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	784	0.294	आबादी	—	नजूल
28	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	769/1	0.275	आबादी	—	नजूल
29	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	791/11	0.024	आबादी	—	नजूल
30	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	804/2	0.202	आबादी	—	नजूल
31	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	28	1.529	छोटेझाड़ के जंगल एवं घांस	वन विभाग	नजूल सरकार
32	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	30	2.347	—“—	चराई व बांध	नजूल सरकार
33	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	31	0.603	—“—	बांध	नजूल सरकार
34	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	32/1	0.210	—“—	अटल आवास	नजूल सरकार
35	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	33	1.705	—“—	स्टेडियम	नजूल सरकार
36	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	34/1	0.012	—“—	—	नजूल सरकार

37	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	36	0.704	—"——	—	नजूल सरकार
38	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	37	0.486	—"——	—	नजूल सरकार
39	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	39/2	0.599	—"——	—	नजूल सरकार
40	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	41	2.829	—"——	—	नजूल सरकार
41	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	42	1.894	—"——	—	नजूल सरकार
42	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	43	1.513	—"——	—	नजूल सरकार
43	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	47	2.177	—"——	—	नजूल सरकार
44	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	48	1.497	—"——	—	नजूल सरकार
45	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	50/1	5.697	—"——	—	नजूल सरकार
46	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	52	1.821	—"——	—	नजूल सरकार
47	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	54	0.817	—"——	—	नजूल सरकार
48	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	55	2.221	—"——	—	नजूल सरकार
49	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	57/1	1.908	—"——	—	नजूल सरकार
50	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	45	1.890	—"——	चराई	नजूल

51	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	46	1.485	—"——	—	नजूल
52	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	49	0.036	—"——	—	नजूल
53	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	56	0.190	—"——	—	नजूल
54	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	58/1	5.099	—"——	—	नजूल
55	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	61	0.700	—"——	—	नजूल
56	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	63	2.020	—"——	—	नजूल
57	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	66	2.800	—"——	—	नजूल
58	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	69/1	4.967	—"——	—	नजूल
59	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	80	1.781	—"——	—	नजूल
60	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	81	1.408	—"——	—	नजूल
61	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	82	0.324	—"——	—	नजूल
62	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	83	1.165	—"——	—	नजूल
63	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	85/1	1.372	—"——	—	नजूल
64	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	86	2.023	—"——	—	नजूल

65	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	87/1	1.772	---"---	—	नजूल
66	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	88	0.283	---"---	—	नजूल
67	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	89	0.259	---"---	—	नजूल
68	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	90	0.255	---"---	—	नजूल
69	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	93	0.202	---"---	—	नजूल
70	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	94	0.348	---"---	—	नजूल
71	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	97/1	0.210	---"---	—	नजूल
72	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	99	2.442	---"---	—	नजूल
73	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	100	0.073	---"---	—	नजूल
74	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	104/1	0.741	---"---	—	नजूल
75	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	105/2	1.699	---"---	—	नजूल
76	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	106	0.571	---"---	—	नजूल
77	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	114/1	0.077	---"---	उच्चतर मा.शा.	नजूल
78	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	115	1.805	---"---	उच्चतर मा.शा.	नजूल
79	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	122/1	0.004	---"---	—	नजूल
80	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	123/1	0.275	---"---	—	नजूल
81	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	128	0.182	---"---	—	नजूल
82	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	129/1	0.594	---"---	—	नजूल

83	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	130	0.845	---"---	—	नजूल
84	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	131	0.259	---"---	—	नजूल
85	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	132	0.462	---"---	—	नजूल
86	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	133/1	1.869	---"---	—	नजूल
87	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	134/3	0.466	---"---	तह.कार्या हेतु सु.	नजूल
88	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	142/6	0.162	---"---	—	नजूल
89	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	144	2.576	---"---	शिक्षा विभाग	नजूल
90	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	147	0.429	---"---	—	नजूल
91	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	148/2	0.671	---"---	—	नजूल
92	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	156/1	0.653	---"---	—	नजूल
93	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	192	0.959	---"---	—	नजूल
94	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	193	1.979	---"---	—	नजूल
95	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	195	0.053	---"---	—	नजूल
96	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	196	0.700	---"---	—	नजूल
97	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	205	0.097	---"---	—	नजूल
98	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	259/1	0.628	---"---	—	नजूल
99	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	259/2	0.121	---"---	—	नजूल
100	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	291	0.421	---"---	—	नजूल
101	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	299	0.178	---"---	—	नजूल
102	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	319/1/च	0.372	---"---	—	नजूल
103	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	340/1	0.700	---"---	—	नजूल
104	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	341	0.624	---"---	—	नजूल
105	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	346	0.117	---"---	—	नजूल
106	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	353	0.267	---"---	—	नजूल
107	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	357	0.117	---"---	—	नजूल

108	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	387	0.162	---"---	—	नजूल
109	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	400	0.117	---"---	—	नजूल
110	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	401	0.202	---"---	—	नजूल
111	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	406	0.356	---"---	—	नजूल
112	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	408	0.494	---"---	तालाब पार	नजूल सरकार
113	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	494	0.632	---"---	शमशान व कब्र.	नजूल सरकार
114	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	555/1	0.085	---"---	तह.कार्या	नजूल
115	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	570	1.829	---"---	अतिक्रमण	नजूल
116	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	590	0.251	---"---	तालाब पार	नजूल सरकार
117	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	601/1	1.829	---"---	बंगला	नजूल
118	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	651	0.129	---"---	—	नजूल
119	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	664	0.085	---"---	—	नजूल
120	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	675	0.287	---"---	—	नजूल
121	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	701	0.049	---"---	मुर्दा मवेशी चिरने की जगह	नजूल सरकार

122	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	764	0.049	—”—	—	नजूल
123	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	754/1/ग	0.012	—”—	मुर्दा मवेशी घिरने की जगह	नजूल सरकार
124	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	754/1/ख I	0.081	—”—	गौठान	नजूल
125	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	707	0.089	—”—	शमशान व कब्र.	नजूल सरकार
126	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	859	0.032	—”—	—	नजूल
127	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	867	0.057	—”—	शमशान व कब्र.	नजूल सरकार
128	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	258	3.165	सड़क रास्ता मद	—	नजूल सरकार
129	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	295	0.700	—”—	—	नजूल सरकार
130	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	494	1.817	—”—	—	नजूल सरकार
131	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	494	1.817	—”—	—	नजूल सरकार
132	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	495	0.829	—”—	—	नजूल सरकार
133	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	497	0.470	—”—	—	नजूल सरकार
134	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	594	2.460	—”—	—	नजूल सरकार
135	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	634	0.089	—”—	—	नजूल सरकार

136	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	650	0.656	—''—	—	नजूल सरकार
137	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	700	1.789	—''—	—	नजूल सरकार
138	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	706	0.845	—''—	—	नजूल सरकार
139	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	708	0.182	—''—	—	नजूल सरकार
140	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	754/1/क	2.665	—''—	—	नजूल सरकार
141	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	790/1	0.664	—''—	—	नजूल सरकार
142	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	790/2	0.202	—''—	—	नजूल सरकार
143	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	29	1.015	—''—	नाला	नजूल सरकार
144	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	44	0.458	—''—	—	नजूल सरकार
145	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	51	4.662	—''—	—	नजूल सरकार
146	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	53	0.364	—''—	—	नजूल सरकार
147	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	59	2.967	—''—	—	नजूल सरकार
148	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	53	0.364	—''—	—	नजूल सरकार
149	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	59	2.967	—''—	—	नजूल सरकार

150	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	74	0.445	—"——	—	नजूल सरकार
151	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	143/1	0.831	—"——	—	नजूल सरकार
152	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	148/3	0.138	—"——	—	नजूल सरकार
153	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	168	0.316	—"——	—	नजूल सरकार
154	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	194/1	1.639	—"——	—	नजूल सरकार
155	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	198	0.806	—"——	—	नजूल सरकार
156	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	172	4.448	—"——	—	नजूल सरकार
157	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	308	7.208	—"——	—	नजूल सरकार
158	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	342	2.263	—"——	—	नजूल सरकार
159	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	343	1.028	—"——	—	नजूल सरकार
160	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	355/1	1.133	—"——	—	नजूल सरकार
161	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	355/3	0.206	—"——	—	नजूल सरकार
162	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	403	1.228	—"——	—	नजूल सरकार
163	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	404	0.227	—"——	—	नजूल सरकार
164	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	405	1.080	—"——	—	नजूल सरकार
165	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	407	1.619	—"——	—	नजूल सरकार
166	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	473	1.117	—"——	—	नजूल सरकार
167	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	583	0.182	—"——	—	नजूल सरकार

168	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	591	0.482	—”—	गणेश बंद तालाब	नजूल सरकार
169	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	668/1	0.008	—”—	—	नजूल सरकार
170	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	668/5	0.308	—”—	—	नजूल सरकार
171	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	496/4	0.012	—”—	—	नजूल सरकार
172	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	498/7	0.004	—”—	—	नजूल सरकार
173	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	676	0.393	—”—	—	नजूल सरकार
174	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	677	0.749	—”—	—	नजूल सरकार
175	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	835	0.040	—”—	—	नजूल सरकार
176	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	874	0.352	—”—	—	नजूल सरकार
177	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	303/1	0.243	बांग एवं अमराई	—	नजूल सरकार
178	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	303/4	0.202	—”—	जन.पंचा. पो.आ., ग्रा. बै.	नजूल सरकार
179	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	303/6	0.364	—”—	प्राथ.शा.एवं पूर्वमाशा	नजूल सरकार
180	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	303/3	0.767	—”—	प्रा.स्वा. जन.पंचा.	नजूल सरकार
181	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	303/7	0.368	—”—	बाजार	नजूल सरकार
182	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	24	303/9	0.299	—”—	—	नजूल सरकार

गोपाल वर्मा
कलेक्टर

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd July 2025

No. 896/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S.No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Shri Roopnarayan Pathare	Additional Judge to the Court of I District & Additional Sessions Judge, Jagdalpur	III District & Additional Sessions Judge, Jagdalpur

By order of Hon'ble the High Court,
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.

Bilaspur, the 23rd July 2025

No. 5/L.G./2025/II-3-35/2007.—Shri Ramashankar Prasad, Judge, Family Court, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 06 days from 29-11-2024 to 04-12-2024 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 28-11-2024 till before the Court hours of 05-12-2024, earned leave for 09 days from 23-12-2024 to 31-12-2024 along with permission to remain out of headquarter after the Court hours of 20-12-2024 till before the Court hours of 01-01-2025, earned leave for 10 days from 22-03-2025 to 31-03-2025 along with permission to remain out of headquarters from 22-03-2025 to 31-03-2025, commuted leave for 26 days from 01-04-2025 to 26-04-2025 along with permission to remain out of headquarter and earned leave for 05 days from 05-05-2025 to -09-05-2025 along with permission to remain out of headquarters from 04-05-2025 till before the office hours of 10-05-2025.

During the period of earned leave & commuted leave, as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Prasad, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 552 days of half-pay-leave and 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)